गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ. शा. पत्र सं. M-11015/166/2020-PESA
दिनांक: २२ मार्च, 2022

माननीया/माननीय,
सादर नमस्कार,

जैसा कि आप जानते हैं, शहरीकरण की बढ़ती संस्कृति ग्रामीण क्षेत्रों और उपनगरीय क्षेत्रों में प्रवेश पा रही है। यही नहीं आसपास के गांव भी शहरीकरण की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र का प्रवेश भी धीरे-धीरे होता जा रहा है और कृषि से लेकर बैंकिंग तक विभिन्न ग्रामीण अनुप्रयोगों में डिजिटल प्रौद्योगिकी को तरजीह मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक दृष्टिकोण बदल गया है। अतः इन विकासों के फलने-फूलने के लिए पर्याप्त स्थानिक योजना मानदंडों और मानकों के साथ-साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है।

यह देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रूप से बदल गया है और लोगों की सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास गतिविधियों में भी कई गुना वृद्धि हुई है, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ड्रोन सर्वेक्षण आदि पर आधारित नवीनतम अनुप्रयोगों का प्रचलन अस्तित्व में आता जा रहा है, पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानिक योजना पर संशोधित दिशानिर्देश लाने के लिए एक विस्तृत प्रयास समय रहते ही प्रारम्भ कर दिया था ।

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, आईआईटी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, स्थानिक योजनाकार, वास्तुकार, शहरी डिजाइनर, पर्यावरण योजनाकार, परिवहन योजनाकार, सिविल इंजीनियर आदि इस प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) दिशानिर्देशों को राज्यों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद अंतिम रूप दिया गया तथा जनवरी 2022 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया । ये दिशानिर्देश राज्यों के नगर एवं ग्राम नियोजन विभागों, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों और जिला/ब्लॉक स्तर पर स्थित अन्य कार्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो गांवों में भौतिक और सामाजिक दोनों तरह के नियोजित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। आपके संदर्भ के लिए इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं का एक संक्षिप्त सारांश संलग्न है।

त्वरित ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभागों अर्थात् नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग आदि को आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के व्यवस्थित कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त रूप से निर्देश दें। । इस संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों को RADPFI दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता हो सकती है।

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax: 011-23070309
Resi.: 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

मैं आपकी ओर से इस सन्दर्भ में पुष्टि की आशा रखता हूं और अनुरोध करता हूं कि पंचायती राज मंत्रालय को इस संबंध में आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण भी प्रदान किया जाए।

सादर,

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(गिरिराज सिंह)

सभी राज्यों के पंचायती राज मंत्री एवं
केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल/प्रशासक

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax: 011-23070309
Resi.: 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. M-11015/166/2020-PESA
Dated: 22 March, 2022

Respected Madam/Sir,

Namaskar,

As you are aware, increasing culture of urbanization is getting extended to rural areas and peri-urban and spilling over to adjoining villages. In addition, the gradual movement of service sector getting established in rural areas and preferential adoption of digital technology in various rural applications, ranging from agriculture to banking, have also changed the outlook of the rural areas. These developments have necessitated towards adequate spatial planning norms and standards as well as improvements in rural infrastructure.

Considering that the economic outlook of rural areas has changed significantly and development activities have also increased manifold to meet the social, economic and ecological needs and aspirations of the people, and the invent of latest applications based on space technology / drone survey etc, Ministry of Panchayati Raj (MoPR) had carried out a detailed exercise to bring out revised guidelines on spatial planning. Several institutions, such as National Remote Sensing Centre (NRSC), National Informatics Centre (NIC), and various academic institutions including School of Planning and Architecture and IITs have been involved in active interaction with spatial planners, architects, urban designers, environmental planners, transport planners, civil engineers, etc in the exercise. The Rural Area Development Plan Formulation and Implementation (RADPFI) guidelines have now been finalized after obtaining States' feedback also. These guidelines would be important for the State Town and Country Planning Departments, State Rural Development and Panchayati Raj Departments and host of other offices located at the district/block level which are responsible for the planned infrastructure development, both physical and social in the villages. A brief summary of salient features of these guidelines is enclosed for your kind reference.

It is requested that you may suitably instruct the concerned departments in your State / UT, namely, the Town and Country Planning department, Rural Development and Panchayati Raj Department etc, to take up earnest actions towards systematic implementation of the provisions of the RADPFI guidelines

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax: 011-23070309
Resi.: 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

Immediately towards accelerated rural infrastructure development. In this regard, efforts may also be required to be taken to streamline the provisions in the State/ UT Town and Country Planning Act and Panchayati Raj Act to be in consonance with the RADPFI guidelines.

I look forward to your kind confirmation and request that MoPR may also be provided with details of progress achieved in your State/UT in this regard.

With regards,

Yours sincerely,

Encl: As above

(GIRIRAJ SINGH)

Hon'ble Panchayati Raj Minister of all the States &
Lieutenant Governor/Administrator of all the Union Territories

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax: 011-23070309
Resi.: 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677